



UPBG010018442017

**न्यायालय: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत।**

**उपस्थित- अवध बिहारी सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP05897**

**सत्र परीक्षण संख्या-333/2017,**

**सरकार बनाम मोनू,**

**आरोप**

मैं, अवध बिहारी सिंह, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बागपत आप मोनू को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ-

1- यह कि दिनांक 17/03/2017 को दोपहर 13.30 बजे थानाक्षेत्र छपरौली, जिला बागपत में पुलिस द्वारा बिना रजिस्ट्रेशन नम्बर की जे०सी०बी० से उपखनिज का अवैध खनन अवैध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु आप पकड़े गये जिसे खनन करने का आपके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य किया है जो कि खान व खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिकारी 1957 की धारा- 4/21 के अधीन दण्डनीय अपराध है जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्दिशित किया जाता है कि आपके उक्त आरोप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 07/01/2022,

(अवध बिहारी सिंह)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,

बागपत।

आज यह आरोप अभियुक्त को पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप से इंकार किया और विचार की मांग की।

दिनांक: 07/01/2022,

(अवध बिहारी सिंह)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,

बागपत।